OFFICE OF THE FIRST APPELLATE AUTHORITY
(Appointed under the Right to Information Act, 2005)
The Institute of Company Secretaries of India ICSI House
C-36, Sector-62, Institutional Area
Noida - 201 309 (U.P.)

Appeal No.00035/2025

IN THE MATTER OF:

Mr. Gagan Pal Kumawat — Appellant
1/55, Housing Board, Jawahar Nagar,
Bharatpur
Rajasthan
Pin:321001

Vs.

Central Public Information Officer — Respondent
The Institute of Company Secretaries of India
'ICSI House', 22, Institutional Area, Lodi Road,
New Delhi – 110003

Date of Order: 12th June 2025

ORDER

(1) The Appellant has filed first Appeal- No. ICSOI/A/E/25/00035 on 16.05.2025 under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 in connection with Response vide letter dated 28.04.2025 against the Central Public Information Officer (hereinafter referred to as Respondent) of the Institute of Company Secretaries of India.

(2) The Appellant vide his RTI Application No. ICSOI/R/E/25/01915 dated 01/04/2025 has requested the following information:

जरिये–ई मेल/रजि.पोस्ट

सेवा में,
श्रीमान् सहायक लोक सूचना अधिकारी,
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान,
नई दिल्ली।

विषय–सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अर्न्तगत सूचना प्रदान कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि प्रार्थी माह 12/2024 में कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित मौडयूल प्रथम के पेपरों में उपस्थित हुआ एंव दिनांक 25.02.2025 को घोषित परिणाम में असफल रहा। प्रार्थी का रौल नं. 309254 एंव रजिस्ट्रेशन सं. 241041358/07/2022 है। अतः उक्त अधिनियम के अर्न्तगत निम्न सूचना प्रदान कराने का श्रम करावें। प्रार्थना पत्र शुल्क आंन लाइन जमा करा दिया है।

1. प्रार्थी द्वारा मौडयूल प्रथम के दिये गए समस्त पेपरों की उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित एंव पठनीय छांया प्रति।
2. कंपनी सचिव संस्थान द्वारा परीक्षक को उक्त उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु जारी उत्तर कुजी की प्रमाणित प्रति। उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उक्त सूचना को अधिनियम की धारा 8(1)(E) के अधीन Fiduciary Relationship with Examiner का आधार बनाकर रोक लिया जाता है जब कि उक्त सूचना परीक्षक से न चाही जा कर स्वमं संस्थान से चाही जा रही है और संस्थान द्वारा ही तैयार की गई है तो उक्त सूचना को रोके जाने के संबध में संस्थागत निर्णय,न्यायिक निर्णय एंव नियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें एंव साथ ही उक्त सूचना परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद गोपनीय नही रह जाती है।
3. उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(C) एंव (D) के अर्न्तगत वर्ष 2022 से 2024 तक की संस्था से संबधित सूचना उपलब्ध करावे।
4. उक्त संस्थान में गत 03 वर्ष यथा 2022,2023 एंव 2024 के दोनों मौडयूल एंव दौनों सत्रों यथा जून एंव दिसम्बर की परीक्षाओं में श्रेणीवार यथा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति,अन्य पिछडा वर्ग एंव सामान्य श्रेणी के छात्रों के पास एंव फेल होने की संख्यात्क सूचना। क्यों कि आप द्वारा छात्र का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन किये जाते समय उक्त श्रेणी की जानकारी चाही जाती है।
5. संस्थान द्वारा MCQ Based आयोजित समस्त पेपरों की संस्थान द्वारा नियत उत्तर कुंजी पर छात्रों से आपत्तियां आमंत्रित नही किये जाने संबधी संस्थागत/न्यायिक निर्णय की प्रति।

6- विभागीय साइट पर उपलब्ध Model Answer Key के सत्यता/प्रमाणिक होने की जिम्मेदारी संस्थान द्वारा नही लिये के संबध में उपलब्ध संस्थागत/न्यायिक निर्णय की प्रति।

7- उक्त अधिनियम में प्रदान की जाने वाली उत्तर पुस्तिका के कानूनी उपयोग में नही लिये जाने बाबत् आवेदक को चेतावनी दिये जाने संबधी संस्थागत निर्णय/न्यायिक निर्णय की प्रति।

8- संस्था द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु परीक्षक की नियुक्ति बाबत् उपलब्ध नवीनतम मानदण्ड एंव निर्देशों की प्रति एंव प्रार्थी की उत्तर पुस्तिका संबधित परीक्षक द्वारा आंन लाइन जांचने हेतु सक्षम होने के प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रति।

9- संस्थान को जारी Legal Notice/Notice for Deman of Justice का जबाव उक्त अधिनियम में प्रदान नही किये जाने के संबध में उपलब्ध नीति/निर्णय/न्यायिक निर्णय की प्रति अर्थाथ दीवानी प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 80 का पालन नही किये जाने के संबध में संस्था के निर्णय की प्रति।

10- संस्थान द्वारा गोपनीय माने गए समस्त दस्तावेजों की सूची जिन्हें उक्त अधिनियम के अर्न्तगत प्रदान किया जाना संभव नही है।

अतः उक्त समस्त सूचना प्रार्थी को उक्त अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराने का श्रम करावे एंव यदि उक्त सूचना कम्प्यूटर जनित माध्यम से भेजी जाती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023 के प्रभावी प्रावधानों के अर्न्तगत सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र संलग्न कर (मय प्रमाणित कर्ता के नाम,पदनाम,पता एंव मो.न.सहित) भिजवाने का श्रम करावे।

सादर।

प्रार्थी,

1/04/2025

(गगन पाल कुमावत)
पुत्र श्री महेन्द्र पाल सिहं एडवोकेट
1/55,हाउसिंग बोर्ड,जवाहर नगर,
भरतपुर 321 001
Email Id- gaganpalkumawat2004@gmail.com
Mobile No.- 9783946605

(3) The Appellant has submitted in his instant appeal regarding the reply provided by the Respondent to the RTI queries as under:

Through E-mail

श्री अमित कुमार रथ,
संयुक्त सचिव एंव प्रथम अपील प्राधिकारी,
सी–36,सैक्टर–62,नौएडा,
उत्तर प्रदेश 201309

विषय–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत निदेशक/ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.26 के विरूद्व प्रथम अपील प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना चाहने बाबत् प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 01.4.25 एंव प्रार्थी को कंपनी सचिव संस्थान द्वारा प्रेषित सूचना/जबाव दिनांक 28.4.25 की प्रति संलग्नक–1 एंव 2 है। अतः उक्त सूचना/जबाव के विरूद्व प्रथम अपील बिन्दुबार निम्न विस्तृत आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र संस्थान को RTI Portal के माध्यम से दिनांक 01.4.25 को प्रेषित किया था जो विभाग को उसी तिथि को प्राप्त हो गया था। **जबाव–संस्थान ने अपने जबाव के बिन्दु सं. 1 में अंकित किया है कि माह 12/2024 की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति हेतु "ICSI Examination Answer Book Portal" पर दिनांक 10.04.25 तक आवेदन कर सकते हैं एंव इसकी घोषण विभागीय वेव साइट पर भी अपलोड की जा चुकी है।**
(अ) जब प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.4.25 को ही संस्थान के केन्द्रीयकृत पोर्टल पर प्राप्त हो गया था तो उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में "ICSI Examination Answer Book Portal" को स्थानांतरित किया जाना था किन्तु जानबूझ कर एंव सूचना नही देने की नीयत से मेरे प्रार्थना पत्र को संबधित Portal पर स्थानांतरित ही नही किया गया।
(ब) संस्थान द्वारा उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने हेतु किए गए वेवसाइट परिवर्तन की सूचना जरिये मेल मुझ प्रार्थी को प्रदान ही नही गई जब कि पूर्व में यथा संस्थान के विरूद्व अन्य छात्रों द्वारा टीका टिप्पणी करने पर संस्थान ने दिनांक 06.10.23 को प्रत्येक छात्र एंव मुझ प्रार्थी को भी जरिये मेल सूचित किया था (संलग्नक–3) तथा इस प्रकार के कई और भी उदाहरण है जब कि उक्त परिवर्तन यथा "ICSI Examination Answer Book Portal" की सूचना से मुझ प्रार्थी को जानबूझ कर अवगत नही कराया गया। इस प्रकार उक्त संस्थान अपनी मन मर्जी के अनुसार ही सूचनाओं से छात्रों को अवगत कराता है एंव अवगत नही कराया जाना भी उनकी मनमर्जी का भाग है।

Gopal Kumawat

(स) यह कि संस्थान द्वारा किसी घोषणा/सूचना को संस्थान की वेब साइट पर अपलोड करना इस बात की कानूनी उपधारणा नही है कि उक्त सूचना सभी छात्रों द्वारा देख/जान ली गई है अर्थाथ इसे डीम्ड नोटिफिकेशन नही माना जा सकता क्यों कि डीम्ड नोटिफिकेशन में संवधित विधि अनुसार समय सीमा निश्चित होती है एंव उसके अनुसार ही डीम्ड नोटिफिकेशन की उपधारणा प्रभावी होती है। अतः इस प्रकार की सूचना किसी विधि/कानून से संवद्व नही होने के कारण डीम्ड नोटिफिकेशन का भाग नही है।

(द) संस्थान द्वारा जानबूझ कर अधिनियम में अंकित 30 दिन की समय सीमा का दुरूपयोग करने की नीयत से दिनांक 28.4.25 को मेरे प्रार्थना पत्र पर जबाव प्रेषित किया है ताकि प्रार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने हेतु नियत तिथि यथा 10.4.25 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सके। जब कि मेरा प्रार्थना पत्र संस्थान को दिनांक 01.4.25 ही प्राप्त हो गया था एंव उसे संबधित को अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत स्थानांतरित भी नही किया गया।

2. यह कि संस्थान द्वारा परीक्षक को उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु जारी/प्रेषित उत्तर कुंजी की प्रति। **जबाव–अधिनियम की धारा 8(1)(d) को आधार बनाकर एंव (Fiduciary Relation With Examiner) के आधार पर प्रदान नही की गई है।**

   (अ) यह कि अधिनियम की धारा 8(1)(d) वाणिज्यिक गोपनीयता,व्यापार गुप्तता एंव बौद्विक संपत्ति से संबधित है तथा चाही गई सूचना यथा उत्तर कुंजी की प्रति उक्त की श्रेणी में नही आते है।

   (ब) यह कि पूर्व में इस सूचना को अधिनियम की धारा 8(1)(e)यथा (Fiduciary Relation With Examiner) को आधार बनाकर रोक लिया गया था जब कि सूचना मेरे द्वारा संस्थान से चाही गई न कि परीक्षक से एंव उक्त सूचना स्वमं संस्थान द्वारा उपलब्ध विधि साहित्य के आधार पर निर्मित की है।

   (स) यह कि संस्थान द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के बाद उक्त उत्तर कुंजी गोपनीय नही रह जाती है। इसके बावजूद भी संस्थान द्वारा कभी अधिनियम की धारा 8(1)(d) तो कभी धारा 8(1)(e) को आधार बनाकर कर जानबूझ कर चाही गई सूचना को रोका जाता है।

3. अधिनियम की धारा 8(1)(C) एंव (D) की पालना में वर्ष 2022 से 2024 तक संस्था से संबधित सूचना के बारे में अवगत कराया है कि **(जबाव) उक्त सूचना संस्था की वेव साइट यथा www.icsi.edu पर उपलब्ध है।**

   (अ) यह कि मेरे द्वारा उक्त विशिष्ट सूचना विशिष्ट अवधि की चाही गई है। इसके बावजूद भी सूचना उपलब्ध नही कराई गई है तथा स्वमं संस्थान ही सूचना के विशिष्ट नही होने के आधार पर सूचना प्रदान करने से इंकार कर देता है।

   (ब) यह कि संस्था की वेव साइट यथा www.icsi.edu में कई शीर्षक अंकित है एंव किस शीर्षक में चाही गई सूचना उपलब्ध है,की जानकारी ही प्रदान नही की गई है।

4. संस्थान के गत 03 वर्ष यथा 2022,2023 एंव 2024 के दौनों मौडयूल एंव दौनों सत्रों यथा जून एंव दिसम्बर की परीक्षाओं में श्रेणीवार यथा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति,अन्य पिछडा वर्ग एंव सामान्य श्रेणी के छात्रों के

Gagan Pal Beniwal

पास एंव फेल होने की संख्यात्क सूचना – **जवाब –इस संबध में अवगत कराया है कि संस्थान परीक्षा में किसी भी वर्ग हेतु आरक्षण नीति का अनुसरण नही करता है।**

(अ) यह कि संस्थान द्वारा नवीन छात्रों के प्रवेश/पंजीयन के समय उनसे उनका वर्ग/श्रेणी की जानकारी चाही जाती है एंव अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन जाति वर्ग के छात्रों को पंजीयन शुल्क में छूट भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार संस्थान का कहना कि उनके द्वारा आरक्षण नीति का अनुसरण नही किया जाता है,पूर्णतया गलत एंव मिथ्या है तथा सूचना को रोकने का झूठा प्रयास है।

5. संस्थान द्वारा MCQ Based आयोजित समस्त पेपरों की संस्थान द्वारा नियत उत्तर कुंजी पर छात्रों से आपत्तियां आमंत्रित नही किये जाने संबधी संस्थागत/न्यायिक निर्णय की प्रति– **जबाव– संस्थान अधिनियम की धारा 2(f) के अर्न्तगत सूचना प्रदान किये जाने से मुक्त है।**

(अ) अधिनियम की धारा 2(f) सूचना की प्रकृति को परिभाषित करती है न कि संस्थान को उक्त सूचना को रोके जाने का कोई अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार उक्त धारा संस्थान को चाही गई सूचना को रोके जाने हेतु कोई अधिकार प्रदान नही करती है तथा संस्थान द्वारा अनुचित आधार एंव तथ्यों के उक्त सूचना को जानबूझ कर रोक लिया है।

6. विभागीय साइट पर उपलब्ध Model Answer Key के सत्यता/प्रमाणिक होने की जिम्मेदारी संस्थान द्वारा नही लिये के संबध में उपलब्ध संस्थागत/न्यायिक निर्णय की प्रति– **जबाव – यह सूचना की श्रेणी में नही आता है एंव संस्थान अधिनियम की धारा 2(f) के अर्न्तगत सूचना प्रदान किये जाने से मुक्त है।**

(अ) अधिनियम की धारा 2(f) सूचना की प्रकृति को परिभाषित करती है न कि संस्थान को उक्त सूचना को रोके जाने का कोई अधिकार प्रदान करती है।

(ब) यह कि संस्थान स्वमं ही उक्त Model Answer Key को संस्थान की वेव साइट पर अपलोड करता है एंव सक्षम व्यक्ति द्वारा उनके लिखे जाने की घोषण करता है इसके बावजूद भी स्वमं ही इसकी सत्यता/प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नही लेता है। (संलग्नक–4)

7- उक्त अधिनियम में प्रदान की जाने वाली उत्तर पुस्तिका के कानूनी उपयोग में नही लिये जाने बाबत् आवेदक को चेतावनी दिये जाने संबधी संस्थागत निर्णय/न्यायिक निर्णय की प्रति– **जबाव–छात्र को उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने हेतु विभागीय वेव साइट यथा www.icsi.edu की सूचना प्रदान की है।**

(अ) सूचना क्या चाही जा रही है एंव जबाव क्या दिया जा रहा है अर्थाथ चाही गई सूचना के संबध में दिया गया जबाव पूर्णतया गलत,अनुचित एंव भ्रामक है और सूचना को जानबूझ कर रोका गया है।

(ब) उक्त अधिनियम की धारा 6(2) में पूर्णतया सुस्थापित है कि आवेदक से सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य नही पूछा जावेगा एंव इसी आधार पर उक्त धारा का दुरूपयोग कर सूचना प्रदान नही की गई है एंव उक्त शर्त यथा चेतावनी आदि को संस्थान द्वारा अपनी मनमर्जी के आधार पर अंकित किया है ताकि संस्थान इसकी आड में अपने अनुचित उद्देश्यों की पूर्ति करता रहे

Gagan Pal Khurana

एंव छात्रों को उक्त सूचना के आधार पर न्यायालय में जाने से रोक सके। (संलग्नक–5)

8- संस्था द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु परीक्षक की नियुक्ति बावत् उपलब्ध नवीनतम मानदण्ड एंव निर्देशों की प्रति एंव प्रार्थी की उत्तर पुस्तिका संबधित परीक्षक द्वारा आंन लाइन जांचने हेतु सक्षम होने के प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रति – **जबाव–उक्त सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(d) दिया जाना संभव नही है अर्थाथ संस्थान उक्त सूचना के प्रकटन से मुक्त है।**

(अ) संस्थान द्वारा उत्तर पुस्तिकाओ को जांचने हेतु शिक्षकों के चयन में कोई तो योग्यता या मानदण्ड तो है ही,लेकिन संस्थान द्वारा इसे जानबूझ कर छिपाया जा रहा है जो उक्त शिक्षकों की दक्षता पर संदेह उत्पन्न करता है एंव संस्था के व्यक्तिगत हितों को बाहर आने से रोकता है एंव उक्त सूचना को चाहने का उद्देश्य केवल शिक्षक की दक्षता को जानना है न कि कोई उसकी व्यक्तिगत जानकारी लेनी है।

(ब) उक्त सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(d) की श्रेणी में किसी भी सूरत में नही आती है लेकिन संस्थान द्वारा जानबूझ कर सूचना रोकने के उद्देश्य से अधिनियम की धाराओं का दुरूपयोग किया जा रहा है।

(स) उक्त सूचना प्रदान करने से न तो कोई जनहित प्रभावित होता है और न ही कोई हानि/नुकसान होता है। इसके बावजूद भी सूचना को रोका जाना केवल संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के निहित स्वार्थो को पूरा करना है ता कि वे अपनी मन मर्जी के आधार पर अपने हितों एंव स्वार्थो को साध सकें।

9- संस्थान को जारी Legal Notice/Notice for Deman of Justice का जबाव उक्त अधिनियम में प्रदान नही किये जाने के संबध में उपलब्ध नीति/ निर्णय / न्यायिक निर्णय की प्रति अर्थाथ दीवानी प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 80 का पालन नही किये जाने के संबध में संस्था के निर्णय की प्रति–**जबाव–यह सूचना की श्रेणी में नही आता है एंव संस्थान अधिनियम की धारा 2(f) के अर्न्तगत सूचना प्रदान किये जाने से मुक्त है।**

(अ) उक्त सूचना में संस्थान से केवल जानकारी चाही गई कि धारा 80 सीपीसी के नोटिस का जबाव नही दिये जाने का संस्थागत निर्णय क्या है एंव उसके जबाव में भी अनुचित रूप से उक्त अधिनियम का दुरूपयोग कर धारा 2(f) को आधार बना कर सूचना प्रदान नही की है।

(ब) संस्थान को धारा 80 सीपीसी का नोटिस जारी किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है लेकिन इसके बाबजूद भी उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना संस्थान द्वारा जानबूझ कर नही किया जाना मनमर्जी का परिचायक है। साथ ही उक्त संस्थान न तो स्वमं कानून है और न ही कानून से बडा है।

10- संस्थान द्वारा गोपनीय माने गए समस्त दस्तावेजों की सूची जिन्हें उक्त अधिनियम के अर्न्तगत प्रदान किया जाना संभव नही है– **जबाव –सूचना स्पष्ट नही होना अंकित किया है।**

(अ) यह सुस्थापित है कि किसी भी संस्थान के गोपनीय दस्तावेजों तिथि, नम्बर,शीर्षक,विषय आदि की जानकारी आवेदक के पास होना संभव ही नही है तो ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा ऐसी स्पष्ट जानकारी दिया जाना संभव ही नही है।

Gaganlal Kumawat

(ब) संस्थान में ऐसा कोई भी दस्तावेज नही है जिसको उक्त अधिनियम के अर्न्तगत जारी किया जाना संभव न हो या उसके प्रकटन से कोई अपहानि/जनहित प्रभावित होता हो। लेकिन इसके बावजूद भी उक्त अनुचित आधार पर सूचना को रोका गया है।

अतिरिक्त कथन

1. यह कि सूचना के उक्त बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 में चाही गई सूचना प्रदान नही किया जाना संस्थान की मनमर्जी को दर्शाता है।
2. यह कि देश के सर्वाधित बडी परीक्षा यथा नीट में भी परीक्षा आयोजक द्वारा परीक्षा उपरांत 1–2 दिवस में ही उत्तर कुंजी को सार्वजनिक किया जा कर आपत्ति चाही जाती है लेकिन संस्थान इससे इतर अपनी मनमर्जी के आधार पर छात्रों को पास/फेल करने का निर्णय लेता और इसी आधार पर चाहे जाने वाली समस्त सूचनाओं को छिपाता है यहां तक कि MCQ Based Question Paper पर छात्रों की आपत्तियां तक आमत्रित नही की जाती है।
3. यह कि इसी कारण संस्थान छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के संबध में चेतावनी भी जारी करता है ताकि छात्र उसका अनुसरण करें एंव संस्थान अपने अनुचित उद्देश्य में निरन्तर सफल होता रहे और चाहे जिसे वह पास करे और चाहे जिसे वह फेल करे।
4. परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद परीक्षक को दी जाने वाली उत्तर कुंजी को जानबूझ कर सार्वजनिक नही किया जाना संस्थान की सत्यता एंव पारदर्शिता पर प्रश्न चिंह अंकित करता है।
5. संस्थान स्वमं उक्त अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का उलघंन करता है अर्थाथा अधिनियम की धारा 6(3) की पालना किसी भी सूरत में नही करता है एंव सूचना को रोकने हेतु अधिनियम की धारा 8 का अनुचित सहारा लेता है एंव उक्त अधिनियम का दूरूपयोग करता है।

अतः आग्रह है कि प्रार्थी को चाही गई समस्त सूचनाऐं उपलब्ध कराने का श्रम करावें एंव आप अपील अधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 19 के अर्न्तगत सूचना प्रदान करने वाले कार्मिक के वरिष्ठ भी अधिकारी है। अतः उक्त दोषी कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

सादर।

संलग्न– 1 लगायत 5

दि. 16/05/25

(गगन पाल कुमावत)
पुत्र श्री महेन्द्र पाल सिहं,एडवोकेट
1/55,हाउसिंग बोर्ड,जवाहर नगर,
भरतपुर 321 001

(4) The reply of the Respondent against the instant appeal is as under: -

"The written submission of the Respondent is as under:-

Written submission to query numbers 1: - The Information was provided to Appellant within the prescribed time as per the provisions of RTI Act 2005

The copies of evaluated answer books are being provided by the Institute after declaration of results of each session of examination through a dedicated portal **"ICSI Examinations Answer Book Portal"** since June 2023. The information to this effect has been widely circulated through the website of the Institute. After declaration of results of every exam an announcement is also being made by the Institute regarding opening of window of the said portal and in each session thousands of students obtained their certified copies through the portal "**free of cost "**and without filing any RTI. Since this facility is in public domain and accessible to all the students, it ceases to be an information accessible under RTI Act. **(Copy of Announcement is enclosed at Annexure-1)**

The announcement explicitly states that the answer books shall be supplied to the students within the prescribed time and as per the record retention policy of the Institute. The record retention policy is also available in public domain. **(Copy enclosed at Annexure-2)**

It is further to mentioned that the Appellant is also well aware of this process as he had sought the copies of his answer books in past on multiple occasion since June 2023 by using this facility.

From the above facts it is clear that Appellant failed to apply for the answer books within the stipulated time period and allegation of Appellant that the "Institute knowingly not transferred application to the relevant" is unfounded, false and misleading. The Appeal is based only upon the opinion of Appellant and not the fact.

Institute receives large number of RTI applications through Centralised RTI Portal on daily basis and these RTI applications are being disposed-off on first come first serve basis.

Moreover, in the present appeal of Appellant, promotion of self-interest is dominant rather than public interest as the Appellant had sought redressal of grievances.".

Written submission to query number 2: - "The Solutions to the questions prepared by the authors after giving declaration of assignment in favour of ICSI only and therefore exempted from disclosure under the section 8(1)(d) of RTI Act.

These solutions are made available by ICSI to the examiners to enable them to evaluate answer books correctly and effectively in a proper manner to achieve uniformity in evaluation. The solution to the questions is given by the ICSI to the examiners to be held in confidence and requiring / expecting secrecy and confidentiality and therefore also exempted from disclosure under section 8(1)(e) of the RTI Act.

The Appellant was correctly responded.".

Written submission to query number 3: - "All the relevant information is available on the website of the ICSI i.e. www.icsi.edu ".

Written submission to query number 4: - "The information of students with regard to their category is being sought for fee concession for taking admission in the CS Course. There is no further utilisation of this information for examination purpose. The results of CS Examinations are based on merit of candidates and no other criteria are being followed by ICSI, and therefore result data are not maintained category wise.

The appellant was correctly responded.".

Written submission to query numbers 5, 6 and 9: - "This is not an information, therefore, exempted u/s 2(f) of the RTI Act, 2005".

Written submission to query number 7: - "The information is already available at the website of the Institute at www.icsi.edu – Examination – Results – Supply of Copy of Answer Book(s) to the Students of CS Examinations – December, 2024".

Written submission to query number 8: - "The standards of eligibility, qualifications, experience etc. to empanel as examiner are hosted on ICSI website. The criteria for selection of examiners for answer book evaluation is exempt from disclosure under section 8(1)(d).

The appellant was correctly responded.".

Written submission to query number 10: - "The query is not clear and specific".

Further, it is to inform that the "the public authority under the RTI Act, 2005 is not to create or collate information; or to interpret information. Therefore, the information which is readily available in the format/content can only be provided to the appellant and not as per the choice of the information seeker. The reply(ies) to the query(ies) cannot be created and designed in the manner and wish of the appellant.

Therefore, the contents made in the RTI reply stands as it is and the appeal deserves to be dismissed.''

(5) This Office has carefully considered the application, the response, the appeal and the records made available and finds that the matter can be decided based on the material available on record.

This office concurs with the submissions of the Respondent in his reply to the instant appeal.

The appeal is accordingly disposed of.

Sd/-

(Asit Kumar Rath)
First Appellate Authority

Copy to:

1. Mr. Gagan Pal Kumawat
   1/55, Housing Board, Jawahar Nagar,
   Bharatpur
   Rajasthan

Pin:321001

2. Central Public Information Officer
   The Institute of Company Secretaries of India
   'ICSI House', 22, Institutional Area, Lodi Road,
   New Delhi - 110003

3. Directorate of IT - For publishing on the website